UPBJ010048412026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट नं0–2, बिजनौर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1671/2026

सरकार बनाम सूरज उर्फ अजीब

मु0अ0सं0–428/2025
धारा–305(ए) बी0एन0एस0
थाना–नूरपुर, जिला बिजनौर।

दिनांक–15.07.2026

यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रार्थी सूरज उर्फ अजीब पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम योगेन्द्रनगर थाना भौपा, जिला मुजफ्फरनगर की ओर से उक्त प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं है। पब्लिक का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उक्त वाद की एफ0आई0आर0 अज्ञात में लिखाई है। प्रार्थी कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। नाक व गर्दन में कैंसर की गांठ है और फेफड़ों में इन्फेक्शन है। सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी को दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आज न्यायालय में विवेचक हाजिर हुए जिन्होंने यह बताया कि इस अभियुक्त के सहअभियुक्त द्वारा कुछ पैसों की रिकवरी करा दी गयी है। इसके सहअभियुक्त ने यह भी बताया कि अभियुक्त सूरज से सोने के कंगन बगैरह की बरामदगी होनी है जिसके लिए अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना जरूरी है ताकि उससे पूछताछ की जा सके और उक्त बरामदगी की जा सके और अभियुक्त से यह भी पता लगाया जा सके कि उसने अन्य कोई चोरी तो नहीं की है। इससे पहले भी अभियुक्त के विरूद्ध इसी तरह के अनेक मुकदमे दर्ज हैं जो न्यायालय में अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में मुकदमों की लिस्ट दी गयी जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमे के अलावा अन्य आठ मुकदमे पंजीकृत हैं और अभियुक्त से गिरफ्तारी होने के पश्चात पूछताछ की जानी

न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये व अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने के आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

प्रार्थी सूरज उर्फ अजीब पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम योगेन्द्रनगर थाना भौपा, जिला मुजफ्फरनगर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 शहजाद अली)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
न्यायकक्ष सं0–2, बिजनौर।
JO Code- UP 3840

Digitally signed by SHAHZAD ALI
Date: 2026.07.15 16:59:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court